सं0–3110 /नौ–2(52पे0)/2003

प्रेषक,

पी0 के0 महान्ति,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
उत्तरांचल ।

पेयजल अनुभाग– देहरादूनः दिनांकः 31 जनवरी ,2004

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2003–04 में गंगा कार्य योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु अनुदान की अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक–5288/गंगा कार्ययोजना दिनांक–18.12.2003 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0–2767/नौ–2(52पें0)/2002,दिनांक 20.11.2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिए प्राप्त प्राक्कलन अनु0 लागत रू0 480.43 लाख के सापेक्ष पूर्व में उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 20.11.2003 द्वारा अवमुक्त रू0 100.00 लाख(रू0 एक करोड़ मात्र) को कम करते हुए अवशेष रू0 380.43 लाख (रू0 तीन करोड़ अस्सी लाख तैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय इस हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा ।

2– उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी। आहरण से संबंधित बिल बाउचर्स की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी ।

3– उक्त स्वीकृत से व्यय की गई धनराशि का विस्तृत ब्यौरा तथा मासिक व त्रैमासिक वित्तीय भौतिक प्रगति यथा समय शासन को उपलब्ध करायेगें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण व्यय विवरण सहित शासन तथा महालेखाकार, उत्तरांचल को चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत तत्काल उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

4– गंगा कार्य योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत किये गये व्यय में सृजित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव पर राज्य सरकार की वचनबद्वता की सीमा तक धनराशि व्यय की जा सकेगी और इसके अभिलेखों का रख–रखाव योजनावार अलग–अलग किया जायेगा ।

5– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो के सापेक्ष उ0प्र0 शासन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– ए–2–87(1) दस – 97–17(4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सैन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सैन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नही होगा। इसे कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर लिया जाय।

6– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण /रख–रखाव कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

7– उक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो का विस्तृत विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को आवश्य उपलबध कराया जाय ।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2004 तक उपयोग करके वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

9– उक्त व्यय वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के अंतर्गत अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–आयोजनागत–02–मल निकासी एवं सफाई–106 जल प्रदूषण का निवारण–00–03–गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रख–रखाव हेतु पेयजल निगम को अनुदान (फेज–I) –20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा ।

10– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–2630/वि0अनु0–3/2003 दिनांक 28.01.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव

amit

पृ0सं0 – /(1)/नौ–2(52पे0)/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल,देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
3– जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार ।
4– कोषाधिकारी, देहरादून ।
5– परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उत्तरांचल पेयजल निगम, हरिद्वार ।
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग।
7– वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग/बजट सेल,।
8– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
9– निजी सचिव/मा0 ग्राम्य विकास एवं मा0 पेयजल मंत्री, जी उत्तरांचल शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानर्थ।
10– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून ।
11– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय कैम्पस, देहरादून ।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव